



HAMIRPUR POLICE



दिनांक-04/09/2020

थाना राठ

::टाँप-10/हिस्ट्रीशीटर अपराधी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार::-

आज दिनांक 04/09/2020 को पंजीकृत कर न्यायिक अभिरक्षा में पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में भेजा गया।

अपराध एवं अपाधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में राठ पुलिस द्वारा एच एस नम्बर 244ए अभियुक्त मुन्नू यादव पुत्र कल्लू यादव ग्राम गलियां थाना राठ जनपद हमीरपुर को 10 लीटर अवैध कच्ची देसी महुआ शराब के साथ गलिया तिराहा से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या-413/20 धारा-60 आबकारी अधिनियम में अभियोग



गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1)मु0अ0सं0-937/15 धारा-307/504/506आईपीसी
- 2)मु0अ0सं0-545/17 धारा-308/504/506आईपीसी
- 3)मु0अ0सं0-664/17,धारा-147/148/149/307/324/504/506आईपीसी
- 4)मु0अ0सं0-298/18 धारा-387/452/504506 आईपीसी
- 5)मु0अ0सं0-192/13 धारा-41/411आईपीसी
- 6)मु0अ0सं0-203/19 धारा-8 /20 एनडीपीएस एक्ट
- 7)मु0अ0सं0-02/20 धारा 3 यूपी गुंडा अधिनियम

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1)उ0नि0 श्री इंद्रपाल सिंह, 2)कां0उमा शंकर शुक्ला, 3)कां0 अंशुल कुमार